



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या - 42904 वर्ष 2025

अजीत सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	सुनील कुमार
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार और राज्य की ओर से विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत अर्जी आवेदक अजीत सिंह द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 358, वर्ष 2025 में, धारा 61 (2), 351 (3), 109 (1)बीएनएस तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25/27 के अंतर्गत, थाना-कटघर, जनपद-मुरादाबाद में, विचारण के लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह दिनांक 17.07.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि मुखबिर द्वारा एक ललित कौशिक और दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि घटना के दिन दो अज्ञात व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर आए और कहा-सुनी के बाद, प्रथम सूचनादाता, उसके पुत्र विवेक और उसकी पुत्री लता को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उक्त गोलीबारी में उसकी पुत्री लता, एक ई-रिक्शा चालक और एक अन्य व्यक्ति को गोली लगने से चोटें आईं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक का नाम नहीं था। उसका नाम मुखबिर के बयान में सामने आया है, और वह भी घटना के 24 दिन बाद। काफी देर तक बहस करने के बाद, आवेदक के विद्वान वकील ने यह दलील

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दी कि इस मामले में 23.08.2025 को आरोप-पत्र दाखिल की जा चुकी है और संबंधित अदालत ने 26.08.2025 को इसका संज्ञान ले लिया है; इसलिए, आवेदक से आगे हिरासत में पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक के 15 मामलों के आपराधिक इतिहास की उचित व्याख्या की गई है, और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है; अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए यह दलील दी कि आवेदक एक आदतन अपराधी है और उसका 15 मामलों का आपराधिक इतिहास है; हालाँकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, संबंधित अदालत ने इसका संज्ञान ले लिया है, और आपराधिक इतिहास की उचित व्याख्या की गई है।

अपराध की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य/सामग्री, आरोपी की संलिप्तता, सज़ा की गंभीरता, और दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए, अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि आवेदक ने जमानत के लिए एक ठोस आधार प्रस्तुत किया है। अतः, जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

आवेदक-अजीत सिंह, जो उपरोक्त केस क्राइम में शामिल है, को व्यक्तिगत मुचलका और दो स्थानीय जमानतदार (प्रत्येक समान राशि के) पेश करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके वकील के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट न दे दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, निचली अदालत को उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्यवाही करने की स्वतंत्रता होगी।

16 जनवरी, 2026

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।